

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 05 / 2021

दिनेशचन्द पुत्र किशनसिंह निवासी ब्रह्मबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर ।

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 02.02.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनेशचन्द पुत्र किशनसिंह निवासी ब्रह्मबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2020 जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से सूचना चाही गई थी। जिला रसद अधिकारी,भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/51 दिनांक 14.01.2021 के द्वारा जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/29 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएँ जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 29 दिनांक 25.01.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं। जिला रसद अधिकारी,भरतपुर ने अपने जबाब की तारीख में पत्र क्रमांक 24 दिनांक 01.01.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलान्त को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (जिला रसद अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी,भरतपुर को भी भेजी जावे।



(नथमल डिडेल)

जिला कलक्टर

भरतपुर

